20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE INDIA भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES

विलोपित

विलोपित

319

I/निगरानी/पन्ना/भू.रा.सं./2017/2391

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

श्री डी.के. पासी (एड.) द्वारा आज दि.-28/07/17 को प्रस्तुत

28.7.17 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

देवीदीन पिता श्री कन्हैया अहिरवार
निवासी ग्राम सीलोना तह. अजयगढ़,
जिला पन्ना म.प्र. ....आवेदक

//विरूद्ध//

1. मुकेश पिता श्री राजकुमार जैन
2. मध्यप्रदेश शासन ....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार अजयगढ़ जिला पन्ना म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 08/अ–3/2015–16 में पारित प्रतिवेदन आदेश दिनॉक 25–02–17 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

D.K. Pasi (Adv.) Board of Revenue M.P. Gwalior Mob. 9753356589

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा नक्शा तरमीम बटांक हेतु आवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसे बिना किसी विधिक आधार के खारिज किए जाने से यह निगरानी संशोधन अधिनियम के तहत् सम्मानीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आराजी नं. 110/2ख की उक्त आराजी मैं देवीदीन पिता श्री कन्हैया अहिरवार निवासी खिलौना के द्वारा वार्ड नं.12 रहुनिया रोड माधोगंज अजयगढ़ में दिनांक 08.04.11 को अखिलेख कुमार पिता श्री रामचरन पटेल निवासी गंगापुरवा से क्रय कर कब्जा प्राप्त किंया था जिसका नामांतरण विधिवत रूप से किए जाने के उपरांत आवेदक काबिज चला आ रहा है विक्रयपत्र नामांतरण पंजी एवं वर्ष खसरा पांचसाला 12 से 14, 14 से 17 की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। जिसमें 110/2ख पर आवेदक का नाम दर्ज है किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के कब्जे वाली भूमि के खसरा में अनाधिकृत रूप से नक्शा में दुरूस्ती कर गंभीर विधिक त्रुटि की है और आवेदक का आवेदन इस आधार पर निरस्त किया गया है कि अनावेदक क्र.1 की नक्शा तरमीम लाल स्याही से की गई है। इस कारण प्रश्नगत आदेश वैधानिक प्रक्रिया के अभाव में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—एक / निगरानी / पन्ना / भू.रा. / 2017 / 2391

देवीदीन अहिरवार विरूद्ध मुकेश जैन व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25—02—2019	आवेदक की ओर से श्री डी.के. पासी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार अजयगढ़, जिला—पन्ना के प्रकरण क्रमांक 08 / अ—3 / 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 25—02—2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—पन्ना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 18—4—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) 25/2/2019 सदस्य	